राजभाषा के रूप में हिन्दी

कुबेर सिंह
डॉ. अंकुश गौतम

हमारे संविधान में हिन्दी को भारत की राजभाषा कहा गया है। भारत का संविधान अध्याय 17 अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखि हिन्दी होगी। यह घोषणा 14 सितम्बर 1949 को की गई। इस दिवस को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का संबंध मात्र प्रशासन से होता है। इस संवैधानिक प्रावधान के पश्चात् राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया, जिसमें हिन्दी के प्रचार पर बल दिया गया व पत्र व्यवहार हेतु हिन्दी को मुख्य भाषा के रूप में या हिन्दी अनुवाद को प्राधिकृत रूप में माना गया।

सन् 1968 में संघ के दोनों सदनों द्वारा हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के संकल्प लिए गए। सन् 1976 में पुनः राजभाषा अधिनियम में चार प्रमुख चरण के माध्यम से कर्मचारियों एवं संस्थाओं को हिन्दी में कार्य करने एवं उन्हें उचित एवं अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत कर हिन्दी के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया व अनेक राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने प्रशंसनीय कार्य किए। साथ ही सरकारी कार्यालयों से जारी समस्त पत्र हिन्दी–अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी किये जावेंगे। इस देश की राजभाषा हिन्दी ही हो सकती है। अन्य भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं। इस हेतु अनेक कार्य क्रियान्वित हुए एवं काफी हद तक सफल भी है।

भाषा और सत्ता का एक दूसरे के साथ अभिन्न संबंध है। जब–जब सत्ता परिवर्तित होती है, राजभाषा की भाषा मं भी परिवर्तन होता है। यहां सत्ता परिवर्तन से आशय राजनैतिक पार्टियों या व्यक्तियों के सत्ता परिवर्तन से नहीं है। राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ है राजकाज की भाषा, जो आज सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में जानी जाती है। राजा–महाराजाओं के समय उनके कार्यकलाप की भाषा या कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती थी। परन्तु वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी कामकाज के निष्पादन में प्रयुक्त भाषा, राजभाषा कहलाती है। इसी अर्थ में आज इसे 'आफिसीयल लैंग्वेज' का पर्याय माना जाता है।[1]

वैसे 'राजभाषा' शब्द में 'राज' शब्द कई बार भ्रान्तियाँ पैदा कर देता है, यही कारण है कि कभी 'राजभाषा' से 'राज सत्ता या प्रसाशन की भाषा', 'राज्य की भाषा' या 'प्रान्त की भाषा' तथा 'राजा की भाषा' आदि अर्थ स्वीकार किए जाते है। मगर जैसा कि स्पष्ट भी किया जा चुका है कि 'राज्यभाषा' शब्द आम शब्द न होकर विशेष शब्द है, जो कि 'सरकारी कामकाज की भाषा' के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात् हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि– भारत का संविधान, अध्याय 17, अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी। यहाँ संघ की राजभाषा से तात्पर्य संघ के वैधानिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक आदि कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा से है। अतः राजभाषा को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –वह भाषा जो सरकार द्वारा हर प्रकार के प्रशासनिक कार्यकलाप के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त करके प्रयोग में लाई जाती है, राजभाषा कहलाती है।[2]

राजभाषा के रूप में संविधान में हिन्दी का अपना विशेष महत्व है। जब कोई भाषा क्षेत्रीय सीमाओं से निकलकर सारे राष्ट्र से स्वीकृति प्राप्त कर लेती है और उसका एक व्यापक रूप बन जाता है तब उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यह भाषा सम्पर्क भाषा के रूप में भी विकसित हो जाती है। इस अर्थ में हिन्दी को सम्पर्क और राष्ट्रभाषा दोनों रूपों में स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु भारतीय संविधान के अनुसार वह केवल राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संकल्पना के बीच अंतर करना आवश्यक होता है। राजभाषा आर्थिक विकास और प्रशासनिक प्रयोग से जुड़ी होती है, वह राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है जबकि राष्ट्रभाषा में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का आधार होता है और वह राष्ट्रीयता से जुड़ जाती है। भारत में अनेक भाषाएं है जिनको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यही कारण है कि केवल हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता। वैसे 1949 में लिपि में लिखित हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।[3]और 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को

राजभाषा घोषित किया गया।

राजभाषा की कुछ विशेषताएँ स्वीकार की जा सकती है–

1. राजभाषा संवैधानिक मान्यता प्राप्त किए होती है।
2. राजभाषा का साहित्य और शब्दावली पारिभाषिक होती है।
3. इसका साहित्य और शब्दावली सरकारी दस्तावेज होता है।
4. राजभाषा का सम्बन्ध मात्र प्रशासन से है।
5. इसका प्रयोग–क्षेत्र सीमित होता है।
6. राजभाषा नीरस अधिक और सरस कम हुआ करती है।
7. राजभाषा आवश्यक नहीं कि सम्बन्धित राष्ट्र की राजभाषा ही हो।
8. किसी राष्ट्र की राजभाषा, राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा भी हो सकती है, जैसे भारत में हिन्दी।
9. राजभाषा देशी और विदेशी कोई भी हो सकती है।
10. राजभाषा की शब्दावली एकार्थक और निश्चयार्थक हुआ करती है।
11. राजभाषा एक प्रयुक्ति ;त्महपेजमतद्धके रूप में प्रयुक्त होती है।[4]

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान :

14 सितम्बर 1949 को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकृत किये जाने का निर्णय संविधान द्वारा लिया गया। इसके बाद संविधान में धारा 343 से 352 तक की व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान में राजभाषा के प्रावधान :

1. संविधान के अनुच्छेद 120 – इसके अनुसार संसद में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जा सकेगा। यदि कोई संसद सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकता है।
2. अनुच्छेद 210 –विभिन्न राज्यों के विधानमंडल हिन्दी अथावा अंग्रेजी में कार्य करेंगे। यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सदस्य को उसकी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने की अनुमति दे सकता है।
3. अनुच्छेद 343 –संघ की राजभाषा हिन्दी, लिपि देवनागरी तथा अंक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले होंगे। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों की अवधि तक किया जाता रहेगा, परंतु राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान शासकीय प्रयोजनों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा अंकों के देवनागरी रूप में प्रयोग को उपबंधित कर सकती है।
4. अनुच्छेद 344–इसके अनुसार संविधान लागू होने के पांच वर्ष एवं दस वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति आदेश द्वारा राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। यह आयोग हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग आदि की सिफारिश करेगा। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जावेगा। इस समिति में लोकसभा के बीस सदस्य और राज्यसभा के दस सदस्य होंगे। यह समिति राजभाषा आयोग की सिफारिश के बारे में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगी।
5. अनुच्छेद 345–किसी राज्य का विधान विधि द्वारा उस राज्य की किसी एक अथवा अन्य भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है।
6. अनुच्छेद 346–किसी एक या दूसरे राज्य और संघ के बीच में संचार की भाषा राजभाषा होगी।

7. अनुच्छेद 347–किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता दी जाये तो राष्ट्रपति वैसा करने के लिए संबंधित राज्य को आदेश दे सकते हैं।
8. अनुच्छेद 348–जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद एवं राज्यों के विधान–मंडलों में पारित विधेयक राष्ट्रपति एवं राज्यपालों द्वारा जारी सभी अध्यादेश, आदेश विनिमय, नियम आदि सबके प्राधिकृत पाठ भी अंग्रेजी भाषा में ही माना जायेगा।
9. अनुच्छेद 349–संविधान लागू होने की 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी के अलावा किसी भी दूसरी भाषा का प्राधिकृत पाठ नहीं माना जायेगा। किसी भी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ हेतु भाषा आयोग तथा सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
10. अनुच्छेद 350–शिकायत निवारण के लिये कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ अथवा राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अपना अभिवेदन दे सकता है।
11. अनुच्छेद 351–इसके अंतर्गत हिन्दी भाषा का प्रसार वृद्धि तथा विकास करना भारत की सामाजिक संस्कृति को विकसित करना, हिन्दी को भारतीय तथा अन्य भाषाओं से जोड़कर उसका दायरा विस्तृत करना संघ का उद्देश्य होगा।[5]

राजभाषा अधिनियम 1963:

राजभाषा नियम 1963 के अंतर्गत कुल नौ नियम बनाये गए एवं नौवें नियम में कहा गया है कि जम्मू–कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों पर समान रूप से ये नियम लागू होंगे। मुख्य सार है–

1. (क) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जावेगा।

   (ख) हिन्दी से वह हिन्दी अभिप्रेत है, जिसकी लिपि देवनागरी है। संविधान में हिन्दी के साथ ही अंग्रेजी उपयोग में लाई जाती रह सकेगी एवं यदि राजभाषा हिन्दी को अपनाया गया है तो उस राज्य हेतु पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता रहेगा।
2. राजभाषा नियम 1963 के नियम 4 में राष्ट्रपति द्वारा समिति गठित की जावेगी एवं वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का अवलोकन है।
3. नियम 5 के अंतर्गत संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनिमय या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा एवं शासकीय राजपत्र में हिन्दी अनुवाद को प्राधिकृत पाठ समझा व माना जावेगा।

सन् 1968 में संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित सरकारी संकल्प लिया गया–

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी। उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकें, संघ का कर्तव्य है।

यह भी संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाए और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।[6]

राजभाषा अधिनियम 1976 :

1. राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कुल बारह नियम बनाये गये। तमिलनाडु राज्य को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों पर समान रूप से ये नियम लागू होते है। मुख्य सार है–
2. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत प्रावधान है कि व्यक्तिगत अथवा राज्य सरकार द्वारा हिन्दी में भेजे गये पत्रों

का जवाब हिन्दी भाषा में ही अनिवार्य रूप से देना होगा।[7]

3. कोई भी कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में अभ्यावेदन कर सकता है।
4. नियम 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी कार्यालय से जारी होने वाले परिपत्र, प्रशासनित रिपोर्ट, कार्यालय आदेश, अधिसूचना करार, संधियों, विज्ञापन तथा निविदा सूचना आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी–अंग्रेजी द्विभाषी रूप से जारी किये जायेंगे।[8]
5. केन्द्रीय सरकार के अधिकारी या कर्मचारी फाइलों में टिप्पणी केवल हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकते है। किसी अन्य भाषा में वे उसका अनुवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते।[9]
6. संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजभाषा नियम 1976 से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में काफी मात्रा में गति आई तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी हिन्दी में कामकाज करने में निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिला।

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हेतु नियम बनाए गए एवं उन पर अमल भी हुआ। किन्तु अभी भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके है। फिर भी विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप हिन्दी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ रहा है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि में वार्षिककार्यक्रमों को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले मंत्रालयों व विभागों को शिल्ड देने की व्यवस्था की गई है।[10]राजभाषाविभाग हिन्दी भाषा के समन्वयक के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को जारी करने के अलावा कई प्रकार की समिति बनाकर यह कार्य कर रहा है–

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति, नागरी प्रचारिणी सभा
2. हिन्दी सलाहकार समितियाँ
3. राजकीय कार्यान्वयन समितियाँ
4. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

आदि संस्थाएं देशभर में फैली इनकी विभिन्न शाखाओं का एवं ऐसी ही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रयास प्रशंसनीय है।

गांधीजी ने कहा था कि अगर हमारे देश का स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए है, तो निःसंदेह अंग्रेजी ही राजभाषा हो, लेकिन अगर हमारे देश के करोड़ों भूखे मरने वाले करोड़ो निरक्षर बहनों और दलित अंत्यजों का है और इन सबके लिए है तो हमारे हमारे देश में हिन्दी ही एकमात्र राजभाषा है।[11]

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा–ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

प्रवक्ता, हिन्दी विभाग

लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. राजेन्द्र मिश्र एवं राकेश शर्मा, प्रयोजन मूलक हिन्दी : विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली,पृष्ठ – 15
2. डॉ. जगतपाल शर्मा, हिन्दी भाषा का स्वरूप विकास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली,पृष्ठ – 55
3. डॉ. राजेन्द्र मिश्र एवं राकेश शर्मा, प्रयोजनमूलक हिन्दी : विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली,पृष्ठ 16–17
4. डॉ. जगतपाल शर्मा, हिन्दी भाषा का स्वरूप विकास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 55–56
5. नैतिक मूल्य और भाषा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (उच्च शिक्षा विभाग), म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 114–115

6. www.rajbhasha.nic.in मध्य से

7. नैतिक मूल्य और भाषा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (उच्च शिक्षा विभाग), म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 115

8. वही, पृष्ठ 115

9. वही, पृष्ठ 115

10. श्री जयनारायण तिवारी, राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास, महत्व तथा प्रकाश दिशाएं (आलेख)

11. डॉ. कृष्णकुमार श्रीवास्तव ;ईींतंजकपेबवअमतलण्वतहद्ध(स्वतंत्र लेखन श्रेणी), भारत की राजभाषा नीति (आलेख)